

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, दूनी, जिला - टोंक

(पीठासीन अधिकारी श्रीमती अनिता कुमारी खटीक R.A.S. उपखण्ड अधिकारी दूनी द्वारा अध्यासित)

मिशल संख्या:- 212/2016

निर्णय दिनांक :-16.01.2020

उनवानी दावा :

सोपाल पुत्र श्री कालूराम जाति मीणा उम्र 35 वर्ष निवासी बंधली तहसील दूनीजिला टोंक (राज.)

- वादी -

बनाम

1. प्रधान सिंह पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी ककोड़िया तहसील दूनीजिला टोंक (राज.)
2. तहसीलदार दूनीतहसील दूनीजिला टोंक (राज.)

- प्रतिवादीगण -

उपस्थिति :-

श्री कुलदीप शर्मा
अधिवक्ता वादीगण

एकपक्षीय कार्यवाही
विरुद्ध प्रतिवादी संख्या 1

वाद विभाजन आराजियात

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। निर्णय इस प्रकार है कि प्रकरण में न्यायालय हाजा द्वारा एक पक्षीय प्राथमिक निर्णय व डिक्री आदेश दिनांक 29.06.19 को राजस्व लोक अदालत दूनीमें पारित किया गया था। पारित आदेश की पालना में कुर्रेजात रिपोर्ट तहसीलदार दूनी से प्राप्त होकर शामिल पत्रावली है। कुर्रेजात रिपोर्ट को अधिवक्ता वादी से अवलोकन करवाया गया। अधिवक्ता वादी की प्रार्थना रही कि कुर्रेजात रिपोर्ट सही है और मुताबिक कुर्रेजात रिपोर्ट प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री पारित कर दी जावें।

अधिवक्ता वादी की बहस में कुर्रेजात रिपोर्ट पर सहमति को मध्यनजर रखते हुये कुर्रेजात रिपोर्ट व पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार दूनी द्वारा विभाजन प्रस्ताव राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 18 से 21 के प्रावधानानुसार तैयार किया गया है। अतः प्रकरण में अंतिम निर्णय डिक्री आदेश एतद् द्वारा पारित किया जाता है कि जमाबंदी सम्वत् 2070-73 वाके ग्राम दूनी पटवार दूनी भू.अभि.नि. क्षेत्र दूनी के खाता संख्या 659 में दर्ज ख. नं. 20 रकबा 0.11 है0 व 3076 रकबा 0.40 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.51 है0 स्थित आराजी में खसरा संख्या दर्ज राजस्व रिकार्ड है कि आराजी बाबत् राजीनामा दावा अंतिम निर्णय डिक्री पारित किया जाकर दावा विभाजन आराजियात व स्थायी निषेधाज्ञा होने से तहसीलदार दूनी की कुर्रेजात रिपोर्ट अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है तथा प्रतिवादी संख्या 1 को जरिए स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वादी के हिस्से में की भूमि में वादी के कब्जेकाश्त व उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करे, वादी को जबरन बेदखल नहीं करे। तदनुसार एकपक्षीय डिक्री पर्चा जारी हो।

पक्षकारान का हिस्सा निम्नानुसार रहेगा।

वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा निम्नानुसार है:-


क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
	प्रधान सिंह पुत्र हीरालाल	20	0.07	बारानी-1	0.56

one

	जाति मीणा सा. ककोडिया तहसील दूनी खातेदार नक्शा ट्रेस में सफेद रंग से दर्शित	3076	0.27	बारानी-1	2.16
	योग	किता-2	0.34	-	2.72
2	सोपाल पुत्र कालूराम जाति मीणा सा. बन्थली तहसील दूनी खातेदार नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शित	20/1	0.04	बारानी-1	0.32
		3076/1	0.13	बारानी-1	1.04
	योग	किता-2	0.17	-	1.36

नक्शा ट्रेस संलग्न है।

निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
दूनी

डिक्री मुकदमा इब्तादाई

(ओ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी.....मुकाम

दूनी व अलजाम श्रीमती अनिता खटीक आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी दूनी टोंक

सोपाल पुत्र श्री कालूराम जाति मीणा उम्र 35 वर्ष निवासी बंथली तहसील दूनीजिला टोंक (राज.)

— वादी —

बनाम

1. प्रधान सिंह पुत्र हीरालाल जाति मीणा निवासी ककोड़िया तहसील दूनीजिला टोंक (राज.)
2. तहसीलदार दूनीतहसील दूनीजिला टोंक (राज.)

— प्रतिवादीगण —

वाद विभाजन आराजियात एवं स्थायी निषेधाज्ञा

मुकदमा नं. 212 सन् 2016

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू..मुझ श्रीमती अनिता कुमारी खटीक आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी दूनी बहाजरी श्री कुलदीप शर्मा अधिवक्ता वादी मिनजामिन मुद्दई रूबरू एकपक्षीय कार्यवाही विरुद्ध प्रतिवादीगण संख्या 1 मिनजामिन मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि

आदेश

जमाबंदी सम्वत् 2070-73 वाके ग्राम दूनी, पटवार हल्का दूनी भू.अभि.नि. क्षेत्र दूनी के खाता संख्या 659 में दर्ज ख. नं. 20 रकबा 0.11 है0 व 3076 रकबा 0.40 है0 कुल किता 02 कुल रकबा 0.51 है0 स्थित आराजी में खसरा संख्या दर्ज राजस्व रिकार्ड है। प्रतिवादी संख्या 1 के विरुद्ध एकपक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गई है। उक्त आराजी बाबत् दावा अंतिम निर्णय डिक्री पारित किया जाकर दावा विभाजन आराजियात होने से तहसीलदार दूनी की कुर्रैजात रिपोर्ट अनुसार दर्ज राजस्व रिकार्ड किये जाने की आज्ञा पारित की जाती है। वादी व प्रतिवादी संख्या 1 का हिस्सा निम्नानुसार है:-

क्र. सं.	नाम खातेदार	ख. नं.	रकबा हैक्टेयर में	किस्म	लगान
1	प्रधान सिंह पुत्र हीरालाल जाति मीणा सा. ककोड़िया तहसील दूनी खातेदार नक्शा ट्रेस में सफेद रंग से दर्शित	20	0.07	बारानी-1	0.56
		3076	0.27	बारानी-1	2.16
	योग	किता-2	0.34	-	2.72
2	सोपाल पुत्र कालूराम जाति मीणा सा. बंथली तहसील दूनी खातेदार नक्शा ट्रेस में गुलाबी रंग से दर्शित	20/1	0.04	बारानी-1	0.32
		3076/1	0.13	बारानी-1	1.04
	योग	किता-2	0.17	-	1.36

नक्शा ट्रेस संलग्न है।

one

.....मुवलिक.....बाबत्
.....खर्चा इस मुकदमें का मय सूद वगैरह फीसदी सालना आज की तारीख वसूलियाकि
तक की अदा करें।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज तारीख 16 माह 01 सन् 2020 को जारी
किया गया।

मुहर

दस्तख्त

ओहदा

Handwritten signature

अदालत अधिकारी
देवली (टोक)

मुद्दई	रु.	पै.	मुद्दायलह	रु.	पै.
स्टाम्प अर्जी दावा	<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>	स्टाम्प अर्जी दावा	<i>Handwritten signature</i>	<i>Handwritten signature</i>
स्टाम्प अदालत नामा			स्टाम्प अदालत		
स्टाम्प वजह सबूत			मेहनतान वकील		
मेहनतान वकील			खर्चा गवाहान		
खर्चा गवाहान			फीस कमिश्नर		
फीस कमिश्नर			बाबत् इजरायहुक्मनामा		
बाबत् इजरायहुक्मनामा			अन्य मिजान		
अन्य					
मिजान					

नोट :- इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा पर दी फरीकेन का चाहे डिक्री के जरिये दिलाया हो या नही दर्ज करना चाहिए।

Handwritten signature

अदालत अधिकारी
देवली (टोक)